

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।

(विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्रांक : 29फ / 10(48)23 / 451

लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2023

:- कार्यालय आदेश :-

जिला चिकित्सालयों के मेडिकल कालेज में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त होकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय के विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ में प्रस्तुत योगदान के क्रम में इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर आपरेटरों को तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 में अंकित नवीन तैनाती के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री गोपाल प्रसाद	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ	जिला पुरुष चिकित्सालय, गोरखपुर
2	श्री अनिल प्रसाद	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ	जिला पुरुष चिकित्सालय, बलिया

- उपरोक्त समायोजित कर्मियों को मेडिकल कालेज से कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात उनके अवशेष वेतन, भत्ते एवं एरियर आदि का आहरण नवीन तैनाती के स्थान से किया जायेगा।
- उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी समायोजित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कार्यभार प्रमाणक महानिदेशालय को उपलब्ध करायें। समायोजित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
- समायोजित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
- समायोजित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
उक्त आदेश महानिदेशक महोदया के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(रवि कुमार)

अपर निदेशक (विद्युत)

पृष्ठांकन: 29फ / 10(48)23 /

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6
- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आजमगढ़ एवं गोरखपुर मण्डल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय, गोरखपुर एवं बलिया।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर एवं बलिया।
- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर एवं बलिया।
- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(रवि कुमार)

अपर निदेशक (विद्युत)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
(विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्रांक :29फ/10(48)23/454

लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2023

—: कार्यालय आदेश :—

तात्कालिक प्रभाव से विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ में समूह 'ग' के अन्तर्गत कार्यरत इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर आपरेटरों का स्वयं के अनुरोध पर निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 में अंकित नवीन तैनाती के स्थान पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री मोहम्मद इस्लाम	जिला पुरुष चिकित्सालय, गोण्डा।	जिला महिला चिकित्सालय, गोण्डा।
2	श्री पवन कुमार तिवारी	जिला महिला चिकित्सालय, हरदोई।	डा. राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।
3	श्री ओम प्रकाश शुक्ला	जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर	जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या।
4	श्री विमल कुमार सिंह	जिला महिला चिकित्सालय, आगरा।	मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़।
5	श्री मुकेश कुमार	महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय, मैनपुरी।	जिला महिला चिकित्सालय, आगरा।
6	श्री मायापति चतुर्वेदी	जिला पुरुष चिकित्सालय, बदायूं।	डा. राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।

1. निजी अनुरोध पर किये गये उक्त स्थानांतरण हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
2. उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मियों का माह जुलाई 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023- (1/3/96), दिनांक 07.06.2023 के प्रस्तर-11 में निहित प्राविधानों के क्रम में उक्त कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कार्यभार प्रमाणक महानिदेशालय को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित कार्मिको को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिको द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

5. स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।


उक्त आदेश महानिदेशक महोदया के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।


(रवि कुमार)
अपर निदेशक (विद्युत)

पृष्ठांकन: 29फ / 10(48)23 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवीपाटन, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़ एवं बरेली मण्डल।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय, गोण्डा, डा0 राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय, फर्रुखाबाद, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़, महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय, मैनपुरी एवं जिला पुरुष चिकित्सालय, बदायूं।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, गोण्डा, जिला महिला चिकित्सालय, हरदोई, जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या, जिला महिला चिकित्सालय, आगरा एवं डा0 राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा, हरदोई, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी एवं बदायूं।
7. मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा, हरदोई, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी एवं बदायूं।
8. समस्त सम्बन्धित कर्मचारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)।
9. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


(रवि कुमार)
अपर निदेशक (विद्युत)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ
(विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्रांक : 29फ / 10(48)23 / 453

लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2023

—: कार्यालय आदेश :—

श्री मांगे राम, टेक्नोलाजिस्ट, विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ को कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ में उनके स्वयं के अनुरोध पर टेक्नोलाजिस्ट के रिक्त पद पर एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

1. निजी अनुरोध पर किये गये उक्त स्थानांतरण हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
2. उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक का माह जुलाई 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023- (1/3/96), दिनांक 07.06.2023 के प्रस्तर-11 में निहित प्राविधानों के क्रम में उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् कार्यभार प्रमाणक महानिदेशालय को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

उक्त आदेश महानिदेशक महोदया के अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किया जा रहा है।



(रवि कुमार)


अपर निदेशक (विद्युत)

पृष्ठांकन: 29फ / 10(48)23 /

तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ।
4. कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ एवं मेरठ।
5. श्री सुधाकर यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत प्रकोष्ठ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. श्री मांगे राम, टेक्नोलाजिस्ट, कार्यालय विद्युत अनुरक्षण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।



अपर निदेशक (विद्युत)